

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 83

दिनांक:- 10.5.2018

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री नाथूलाल पिता सवजी पाटीदार नि० सतू ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदालत में दिनांक 10.05.2018 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले०रे०एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा सतू पंचायत समिति डूंगरपुर में स्थित खाता संख्या 279 पर आराजी नं० 153/1 कुल 01 बीघा 02 बिस्वा किता 01 योग रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काशत करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है और लडाई झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी श्री मनोहरलाल उम्र व्यस्क नि० हथ्याई सतू ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम सतू की जमाबंदी सम्वत् 2070-73 खसरा नं० 2213/131 रकबा 00 बीघा 10 बिस्वा की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काशतकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं पत्थरगढी हेतु सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा सतू में स्थित खाता संख्या 279 पर आराजी नं० 153/1 कुल 01 बीघा 02 बिस्वा किता 01 योग रकबा 01 बीघा 02 कुल किता 01 की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा हथ्याई मे स्थित खाता संख्या 279 पर आराजी नं० 153/1 कुल 01 बीघा 02 बिस्वा किता 01 योग रकबा 01 बीघा 02 की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, डूंगरपुर संबंधित मू०अ० निरीक्षक के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रू० 350/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी,
डूंगरपुर